श्री मदन लाल, पुत्र श्री राम चंद, निवासी गांव व डाकघर घण्डालवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि.प्र.) के द्वारा खसरा संख्या 405 (सरकारी भूमि), मौजा ढटवाल, मोहाल जंगली, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 03–37–99 हैक्टेयर में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन (कुल मात्रा 61,599 टन प्रतिवर्ष) के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 18.08.2023 को सुबह 11:00 बजे, श्री मदन लाल, पुत्र श्री राम चंद, निवासी गांव व डाकघर घण्डालवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि.प्र.) के द्वारा खसरा संख्या 405 (सरकारी भूमि), मौजा ढटवाल, मोहाल जंगली, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 03–37–99 हैक्टेयर में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन (कुल मात्रा 61,599 टन प्रतिवर्ष) के प्रस्ताव पर गांव जंगली, डाकखाना महारल, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) मे स्थित शमशान घाट के नजदीक खुले मैदान में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ – 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त जिलाधीश हमीरपुर एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान खनन अधिकारी हमीरपुर, विभिन्न विभागो के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवो के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **संलग्नक–1** के रूप मे संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स पी एंड एम सॉल्यूशन नोएडा यूपी) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले / सुझाव	उत्तर
1.	श्री वचित्र सिंह ढटवालियां, उप प्रधान ग्राम पंचायत महारल, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि वह जांगली गांव कि निवासी है जिसमें प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए खनन पट्टा दिया जाना प्रस्तावित है। उन्होनें इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि बिलासपुर मे लगने वाले स्टोन क्रशर के लिए खनिज सामग्री की मांग को पूरा करने के लिए हमीरपुर जिले की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होनें कहा कि यदि स्टोन क्रशर बिलासपुर जिले मे लगाया जाना प्रस्तावित है तो इसके लिए खनन भी बिलासपुर की जमीन पर ही किया जाए। उन्होनें बताया कि इस खड्ड के 02 किमी के दायरे में चार स्टोन क्रशर चल रहे है। उन्होनें पूछा कि इस छोटे से हिस्सें मे 04 स्टोन क्रशर लगाने का क्या औचित्य और उदेश्य है। उन्होनें प्रदेश मे हाल ही में हुई भूस्खलन की घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि इन आपदाओं में प्रदेश मे जानमाल का भारी नुक्सान हुआ। उन्होनें कहा कि इन आपदाओं का	

प्रमुख कारण अवैध खनन ही है। उन्होनें कहा कि हम इन घटनाओं से भी कोई सीख नही ले रहे है और प्रशासन अभी भी अनावश्यक रुप से खनन परियोजनाओं को अनुमतियां दे रहा है।

उन्होनें खनन विभाग की कार्यशैली पर आपत्ति जताई और कहा कि यदि ग्रामीण ट्रैक्टरों के द्वारा अपने घरों की नींव या डंगो के निमार्ण के लिए खड्ड मे से बजरी लाते है तो विभाग के अधिकारी उन ग्रामीणों का 5000 रुपये का चालान काट देते है। परंतु विभाग स्टोन क्रशरो के खिलाफ कोई भी कारवाई नही करता है जो कि पूरी खड्ड में नियमों के विपरीत अवैध खनन कर रहें है।

उन्होनें इलाके में चल रहे इन स्टोन क्रशरों के कारण स्थानीय ग्रामीणों को हो रही विभिन्न समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। उन्होनें बताया कि खड्ड के छोटे से ही भाग में 04 स्टोन क्रशरों के चलने से अत्याधिक ध्वनि प्रदूषण व कंपन उत्पन्न होता है। इस दिन रात होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोगो को बहुत ज्यादा परेशानी है और इससे पशु भी बीमार हो रहे है।

स्टोन क्रशरों से हो रहे धूल उत्सर्जन के कारण पशुओं का चारा खराब हो रहा है और ग्रामीण भी अस्थमा व टीबी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे है। उन्होने परामर्शदाता के इस दावे को नकार दिया कि प्रस्तावित खनन परियोजना में नियमित रुप से पानी का छिड़काव किया जाएगा और कहा कि जो स्टोन क्रशर पहले से यहां चल रहे मे उनमें धूल के रोकथाम के लिए कभी भी पानी का छिड़काव नही किया जाता है।

उन्होनें कहा कि जांगली गांव की सड़के जो कभी बड़ी अच्छी हालत मे होती थी, उन सड़को की इन स्टोन क्रशरो के लगने के बाद बुरी हालत हो गई है। स्टोन क्रशरों के ओवरलोडिड टिप्परों एवं ट्रैक्टरों नें सड़कों की ऐसी दुर्दशाा करके रखी है कि अब इन सड़को पर पैदल चल पाना भी मुश्किल हो गया है।

उन्होनें परामर्शदाता के दावे को गलत बताया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के लगने से इलाके के जलस्तर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नही पड़ेगा। उन्होने बताया कि स्टोन क्रशरो के खनन के कारण ही उनके गांव की 02 बावड़ियों में बरसात के मौसम में भी पानी का स्तर 04 फीट नीचे चला गया है और इस खनन के कारण ही इलाके का जलस्तर में भारी गिरावट आ रही है।

उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना उनके जांगली गांव से केवल 100 मीटर की दूरी पर है, इसलिए यह परियोजना किसी गांव से 500 मीटर दूर होने की शर्त को पूरा नही करती है।

उन्होनें बताया कि जांगली व नोहाण गांव खड्ड के किनारे एक टेकड़ी पर बसे है और आशंका जताई की प्रस्तावित खनन परियोजना मे खुदाई होने से यह गांव नीचे खिसक कर खड्ड में बह जाएंगे। उन्हानें प्रशासन से आग्रह किया कि जांगली, नोहाण व होल्थ गांवो की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इस

		प्रस्तावित खनन परियोजना को यही बंद कर दिया जाए। उन्होनें कहा कि चंद लोगो के आर्थिक लाभ के लिए आम लोगो की जिंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए। उन्होनें कहा कि खड्ड की निचली ओर लगे स्टोन क्रशर के साथ लगते गांव मे तो खनन के कारण दरारे भी आ चुकी है। उन्होनें कहा कि जांगली गांव के खेल मैदान के विकास और स्टेडियम के निमार्ण का प्रस्ताव ग्रामीणो के द्वारा उच्च स्तर पर भेजा गया है। जिससे गांव के बच्चे यहां खेलने के लिए अच्छी सुविधा मिल सके और उनका समुचित विकास हो सकें। उन्होने कहा कि यदि प्रस्तावित खनन परियोजना को यहां खनन किए जाने की स्वीकृति मिलती है तो खनन होने से यह खेल का मैदान नष्ट हो जाएगा और पूछा कि खेल मैदान के ना रहने पर हमारे बच्चे कहां खेलेंगे। उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना में गांव के विकास कार्यो के लिए दिये जाने वाला प्रस्तावित फंड उन ग्रामीणो के लिए किसी महत्व का नही है जिनके जानमाल को इस खनन परियोजना के लगने से बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उन्होनें बताया कि खसरा नंबर 405 जिसमें प्रस्तावित खनन परियोजनो को पट्टा दिया जा रहा है की सीमा जांगली गांव की पहाड़ी के साथ लगती है और जांगली गांव के निवासियों का इस जमीन के लिए किया गया केस पिछले 10 वर्षो से एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होनें प्रशासन से मांग की इस जमीन को किसी ठेकेदार को देने के बजाए जांगली गांव के लोगो को दे देना चाहिए। उन्होनें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया और कहा कि इसके लगने से इलाके मे प्रदूषण फैलेगा, भूस्खलन की संभावना बढ़ जाएगी और भूजल स्तर भी नीचे चला जाएगा। इसलिए उन्होनें प्रशासन से आग्रह किया कि प्रस्तावित खनन परियोजना को स्वीकृति ना दी जाए। उन्होनें अंत में कहा कि उनकी पंचायत में निमार्ण कार्यो के लिए खरीदी गई खनिज सामग्री के लिए निर्धारित एम–फार्म अनिवार्य रुप से लिया जाता है।	
2.	श्री करतार सिंह डोगरा, गांव करलोटी, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	उन्होने बताया कि बिलासपुर के लोगो ने इस खड्ड मे खड्डपुर्दी के अधिकार पाने के लिए अंग्रेजो के समय में कोर्ट केस किया था और उन्होनें खड्डपुर्दी का हक 48 गुणा मुल्य चुका कर प्राप्त किया। उस समय के फैसले के अनुसार ना इस खड्ड में खनन होना था और नाहि इस खड्ड की नीलामी की जाएगी। उन्होनें कहा कि इस फैसले के विरुध जा कर खड्ड की नीलामी ना की जाए। उन्होनें बताया कि जलशक्ति विभाग ने उनके गांव मे छः करोड़ की लागत से एक सिंचाई स्कीम लगाई थी और इसका लाभ आस पास के 4 से 5 गांवो के लोगो को मिलता था। परन्तु खड्ड में अवैध खनन होने के कारण इलाके का जलस्तर कम हो गया और परिणामस्वरुप यह सिंचाई स्कीम ठप्प हो गई। उन्होनें कहा कि इलाके मे चार स्टोन क्रशर लगने से इलाके में होने वाली खेती बरबाद हो चुकी है और पशुओं का चारा	

		मिलना भी बंद हो गया है। उन्होनें कहा कि ऐसी परिस्थिति में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर खरीदे कि इन्हें यहां चल रहे स्टोन क्रशरों में माल ढुलाई मे लगा कर अपनी आजीविका कमा सकेंगें। परन्तु यहां के किसी भी स्टोन क्रशर ने स्थानीय निवासियों के ट्रैक्टरो को काम पर नही लगाया। इसके आगे उन्होनें बताया कि यदि स्थानीय ग्रामीण ट्रैक्टरों मे अपने निजी इस्तेमाल के लिए खड्ड मे से बजरी भर लेते है तो खनन विभाग इनके चालान काट देता है। जिसके कारण ग्रामीणों ने अपने ट्रैक्टर ही खड़े कर दिए है। उन्होनें कहा कि खड्ड के छोटे से हिस्से मे इतने क्रशर लगाया जाना समझ से परे हैं। उन्होनें कहा कि इन क्रशरों द्वारा किये जा रहे खनन के कारण खड्ड की गहराई 10 फीट नीचे चल गई है। खड्ड की गहराई बढ़ने से पानी भी नीचे चला गया और सिंचाई के लिए पानी ना मिल पाने के कारण आस पास के खेत खलिहान व पशुओं का चारा नष्ट हो चुका है। उन्होनें कहा कि हिमाचल मे इस बरसात मे आई भूस्खलन की आपदाओं से हमें सीख लेनी चाहिए और ऐसी परियोजनाओं को बंद कर देना चाहिए जिनमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो। उन्होनें आशंका जताई की यदि इस खड्ड मे इसी तरह से खनन चलता रहा तो बडी जल्द इस इलाके में भी भूस्खलन शुरु हो जाएगा। उन्होनें कहा कि इस खनन के कारण ही इलाके में खेती बरबाद हो गई है, रोजगार खत्म हो गए और लोग विस्थापित हो रहे है। उन्होने कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना का यहां नही लगने दिया जाएगा और प्रशासन से आग्रह किया कि इस परियोजना को स्वीकृति ना दी जाए।	
3.	श्री कुलदीप सिंह मनकोटिया, गांव गालियां, ग्राम पंचायत करलोटी, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि जिला हमीरपुर की तरफ इस शुक्कर खड्ड में 05 किमी के दायरे में 05 स्टोन क्रशर चल रहे है और खड्ड की दूसरी तरफ बिलासपुर में एक स्क्रीनिंग प्लांट चल रहा है एवं 02 स्टोन क्रशर प्रस्तावित है। उन्होनें सहमति जताई कि खड्ड में खनन पहले भी होता आया है और खनन सामग्री की आवश्यकता पूरी करने के लिए खनन किया जाना आवाश्यक भी है। परन्तु खड्ड के इतने छोटे से हिस्सें मे इतनी सारी खनन परियोजनाओं को अनुमति देना कहां तक तर्कसंगत है और यह पूछा कि सरकार, खनन विभाग एवं पर्यावरण विभाग यह अनावश्यक स्वीकृतियां किस आधार व उद्देश्य से जारी कर रहा है। उन्होनें कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही इन अनावश्यक अनुमतियों के कारण ही आज प्रदेश को भूस्खलन जैसी आपदाओं का सामना करन पड़ रहा है। इन परियोजनाओं के दुष्परिणामों से केवल आम आदमी ही पीड़ित है। उन्होनें बताया कि खड्ड के साथ लगती जमीनों पर कभी धान की फसल का भरपूर उत्पादन होता था और यहां के किसान खुशहाल थे। परन्तु खड्ड मे हो रहे इस खनन के कारण खड्ड लगातार गहरी होती जा रही है और परिणामस्वरुप खड्ड मे पानी ना होने के कारण आज यहां धान की खेती बरबाद हो चुकी है। स्थानीय किसान बदहाली मे रह रहे है। उन्होनें कहा	

कि खनन का फायदा केवल खनन के ठेकदारों को ही हो रहा है, जबकि आम नागरिक को तो इस खनन के कारण विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होनें खनन अधिकारी से अनुरोध किया कि खनन विभाग के कर्मचारियों को अपना काम इमानदारी व कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ पूरा करने की सख्त हिदायत दी जाए।

उन्होनें बताया की हमीरपुर की तरफ चल रहें स्टोन क्रशरों में बिलासपुर जिले से अवैध खनन करके ट्रैक्टर भर भर के रेत बजरी लाया जा रहा है।

उन्होनें कहा कि इस खड्ड में रोजाना 50 के लगभग ट्रैक्टर खनन गतिविधियों में लगे होते है और आश्चर्य व्यक्त करते हुआ कि प्रशासन के इस कार्यक्रम के कारण खड्ड में आज कोई भी ट्रैक्टर दिखाई नही दे रहा है।

उन्होनें शिकायत करते हुए कहा कि इलाक़े के स्टोन क्रशर नियमों के विपरीत सुबह चार बजे से ही चलने शरु हो जाते है और इन्हें रात के समय भी चलाया जा रहा है। उन्होनें कहा क्रशरो द्वारा किया जा रहा पानी का छिड़काव दिखावा मात्र है। उन्होनें इलाके मे चल रहे स्टोन क्रशरो और खड्ड मे हो रहे लगातार खनन से इलाका निवासियों को हो रही परेशानियां प्रशासन के समक्ष रखी।

उन्होनें बताया कि स्टोन क्रशरों का संचालन अलसुबह हो कर पूरी रात चलता रहता है। इसके साथ खनन से जुड़े वाहन दिन–रात चलते रहते है। इन खनन गतिविधियों से इलाके में भारी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण बुर्जगों, मरीजों एवं बच्चों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस ध्वनि प्रदूषण के कारण बच्चों की पढ़ाई भी डिर्स्टब हो रही है। उन्होनें बताया कि स्टोन क्रशरों के कारण गर्मियों एवं सर्दियों मे पूरे इलाके में धूल की मोटी परत बिछ जाती है। इस धूल के कारण इलाका निवासी श्वास संबंधी रोगो व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे है। क्रशरो से उड़ने वाली धूल के कारण पशुओं का चारा भी नष्ट हो जाता है और चारा ना मिलने के कारण किसानो ने अब पशु पालने भी छोड दिए है। खनन गतिविधियों से जुडे वाहनों में तय सींमा से कहीं ज्यादा अधिक वजन का माल भरा जाता है जिसके कारण गांव की सड़के पूरी तरह से टूट चुकी है। उन्होनें कहा कि स्थानीय लोगो को इन खनन परियोजनाओं मे रोजगार दिए जाने का दावा प्रलोभन मात्र है क्योंकि यहां पहले से चल रहे 05 स्टोन क्रशरों में एक भी स्थानीय निवासी को रोजगार नही दिया गया है।

उन्होनें यह भी आशंका जताई कि प्रस्तावित खनन परियोजना मे खनन होने से गांव का एकमात्र खेल का मैदान भी बरबाद हो जाएगा।

उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना में खनिज सामग्री निकाले जाने की जितनी वार्षिक क्षमता प्रस्तावित है उतनी खनिज सामग्री तो इस खड्ड में सें एक सप्ताह मे ही निकाल ली जाती है।

उन्होनें बताया कि इस खड्ड का स्तर वर्तमान स्तर से काफी

		ऊंचा हुआ करता था। परन्तु खड्ड में हुए बेहताशा खनन के कारण खड्ड का स्तर काफी नीचे चल गया है और खड्ड की चिकनी मिट्टी वाली परत भी निकल चुकी है। खड्ड की गहराई बढ़ने के कारण आसपास के घरों और जमीनों का खड्ड मे बहने का खतरा बढ गया है। खड्ड मे हो रहे अन्धाधुंध खनन के कारण इलाके के भूजल स्तर में भी गिरावट आ रही है और उन्होनें आशंका जताई कि खड्ड मे 2–3 और खनन परियोजनाओं के लगने से इस इलाके में पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। उन्होनें परामर्शदाता के इस दावे को नकारा कि इस खड्ड का हर छः महीने के अंतराल पर सर्वे किया जाएगा और कहा कि प्रशासन या विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर ऐसा कोई भी सर्वे नही करवाया जाता है। उन्होनें कहा कि एक तरफ खड्ड में खनन करके ठेकदार मोटी कमाई कर रहे है और दूसरी तरफ स्थानीय लोग इस खनन के कारण उत्पन्न हुए खतरों से अपने घरों को बचाने के लिए अपनी कमाई से डंगे लगवा रहे है। उन्होनें सुझाव दिया कि खड्ड में खनन की स्वीकृतियां देने की जगह यहां हवाई अड्डे जैसे संस्थानो का निमार्ण किया जाना चाहिए। उन्होनें प्रशासन से यह भी मांग कि हमीरपुर व बिलासपुर दोनो जिलों के राजस्व विभाग के अधिकारी संयुक्त रुप से खड्ड की निशानदेही करे और दोनो जिलो की सही सीमा का निर्धारण करे।	
4.	श्री राकेश कुमार, गांव करलोटी, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	उन्होनें बताया कि गांव गालियां, जिला बिलासपुर में जल शक्ति विभाग की पेयजल स्कीम के लिए उनकी 02 बिस्वा जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उन्होनें प्रशासन से शिकायत करते हुए कहा कि उनकी जमीन के अधिग्रहण के एवज मे सरकार से उन्हें ना मुआवजा मिला और नाहि उन्हें सरकारी नौकरी दी गई। उन्होनें बताया कि उनके घर मे पानी का कनैक्शन भी नही है और प्रशासन से आग्रह किया कि उनकी मांगो पर उचित कार्यावाही की जाए।	
5.	श्री परमजीत सिंह ढटवालियां, गांव जमली, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि कार्यक्रम मे मौजूद अधिकतम लोगो की शिकायत खनन विभाग से है जो कि यह दर्शाता है कि खनन विभाग अपने कर्त्तव्यों का पालन पूरी तरह से नही कर रहा है। उन्होनें कहा कि खड्ड मे केवल एक मीटर की गहराई तक खनन किये जाने का नियम है। परन्तु इस खड्ड मे 15 फुट की गहराई तक अवैध खनन किया जा रहा है और खनन विभाग ने इस पर कोई कारवाई करने के बजाए अपनी आंखें बंद कर रखी है। उन्होनें कहा कि खनन विभाग की इसी लापरवाही के कारण ही आज खड्ड इतनी गहरी हो गई है। खड्ड की यह स्थिति खनन विभाग के साथ साथ स्थानीय ग्राम पंचायत की लापरवाही को भी उजागर करती है जो कि पंचायत के निमार्ण कार्यो के लिए खनिज सामग्री स्टोन क्रशरों से एम–फार्म के साथ लेने की जगह सीधे खड्ड मे से उठा रही है। उन्होनें खनन विभाग से आग्रह किया कि इस इलाके में खनन	खनन अधिकारी ने कहा कि खनन विभाग अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन पूरी कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ कर रहा है। निर्धारित सीमा से अधिक गहराई तक खनन होने के संर्दभ मे उन्होनें बताया कि खनन विभाग ने पिछले एक साल में 5 से 6 स्थानो पर नियमों के विपरीत एक मीटर से ज्यादा खनन होना पाया है। उन्होनें बताया कि इस अवैध खनन पर कारवाई करते हुए विभाग ने उल्लंघनकत्ताओं से प्रावधानों के अनुसार जुर्माना भी वसूला है और उल्लंघनकत्ताओं से ही गड्डों में फिर से भरवाई करवायी गई।

		परियोजनाओं के लिए अनुमति देने से पहले इलाके की भूसरंचना का भी अध्धयन किया जाए और नमूने एकत्रित किये जाए। उन्होनें कहा कि इस सबंध मे उन्होनें अपने स्तर पर नमूनो की जांच करवायी है और यह पाया गया है कि इस इलाके में 80 फुट (ऊंचाई में) के बाद नीचे केवल रेत की परत है। उन्होनें कहा कि अगर खड्ड ज्यादा गहरी हो जाएगी तो साथ लगती जमीनो की निचली परत वाला रेत पानी के साथ बह जाएगा और ऊपर की सारी जमीन खिसक के नीचे खड्ड में आ जाएगी। उन्होनें कहा कि यहां चंद पैसो के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिसके भविष्य में खतरनाक परिणाम होंगे। उन्होनें कहा कि इस अवैध खनन के कारण जिस तरह से खड्ड की गहराई बढ़ती जा रही है, इसके कारण आस पास की पहाड़ियां आने वाले समय में निशचित रुप से पानी के बहाव मे खिसक कर नीचे आ जाएंगी। उन्होने कहा कि विकास कार्यो के लिए स्टोन क्रशरो का लगाया जाना सही है। परन्तु यह भी सुनिशचित किया जाना अति आवश्यक है कि इन स्टोन क्रशरों का संचालन तय नियमों एवं प्रावधानो के अनुसार ही हों। उन्होनें कहा कि सबंधित विभागो मुख्यतयाः खनन विभाग को नियमों की पालना को सुनिशचित करवाने के लिए बेहद सख्त रवैया अपनाने की आवश्यकता है और नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर सख्त से सख्त कारवाई अमल में लानी चाहिए। उन्होनें कहा कि यदि खनन विभाग अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाहण सही तरीके से करेगा तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या नही होगी। उन्होनें प्रशासन से आग्रह किया कि प्रस्तावित खनन पट्टे में आबंटित की जा रही जमीन पर पुनः विचार किया जाए। उन्होनें कहा कि इस जमीन के साथ गांव का खेल मैदान लगता है। इस मैदान को स्थानीय युवाओं ने बड़ी मेहनत से अपने खर्चे पर तैयार किया है। उन्होनें प्रशासन एवं परियोजना प्रस्तावक से विशेष आग्रह किया की इस खेल के मैदान के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड ना की जाए। उन्होनें एक बार फिर से खनन विभाग को अपने कर्त्तव्यों का पालन पूरी इमानदारी के साथ करने का आग्रह किया। उन्होनें बताया कि खड्ड में 15 सालो के बाद इस बरसात में ही पानी आया है और पानी के बहाव से केवल खड्ड के नीचे वाले गड्डों में ही खनिज भर पाया है। जबकि खड्ड की 15 फीट की गहराई पहले जैसी ही रह गई है। उन्होनें कहा कि सुजानपुर जैसे क्षेत्रो की खड्डो में प्रचुर मात्रा में खनिज समाग्री उपलब्ध है और इन खड्डों में एक एक मीटर की गहराई तक खनन करने से भी इलाके की मांग को पूरा किया जा सकता है। अतएवः उन्होनें प्रशासन से आग्रह किया कि ऐसी खड्डों में खनन ना किया जाए जिनमें पानी ना आने के कारण खनिज समाग्री की भराई नही हो रही हो। उन्होनें कहा की खनन का कार्य इस मैदान व पहाड़ियों से एक	उन्होनें इस बात का खंडन किया कि खनन विभाग बिना सोचे समझे खड्ड के इसी हिस्सें में खनन पट्टे आबंटित कर रहा है। उन्होनें बताया कि 2014 में प्रदेश के विभिन्न विभागो ने मिल कर राज्य में उपलब्ध खनिजो की मात्रा का आकलन किया। इस आकलन में यह भी देखा गया कि सरकारी व निजी भूमि पर कितनी कितनी मात्रा में खनिज संपदा मौजूद है। इसके बाद यह आंकड़े माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किये गए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में खनिज संपदा से युक्त सरकारी जमीन को चिन्हित कर इन पट्टों को नीलामी की प्रक्रिया में लाया गया। उन्होनें बताया कि ऐसे खनन पट्टे शुक्कर खड्ड के दोनो ओर हमीरपुर व बिलासपुर में नीलाम किए गए है। उन्होनें बताया कि खड्ड की दूसरी ओर बिलासपुर में ऐसे 11 खनन पट्टो की नीलामी की गई थी। हालांकि कुछेक कारणो से इन पट्टो की फिर से नीलामी की जाएगी। अतएवः यह दावा सही नही है कि खनन विभाग मनमाने तरीके से प्रस्तावित खनन पट्टे को आबंटित कर रहा है । उन्होनें जनसमूह को पर्यावरण स्वीकृति दिए जाने की प्रकिया की जानकारी देते हुए कहा कि यह स्थानीय प्रशासन या यहां मौजूद किसी विभाग के कार्यक्षेत्र मे नही है कि वह इस प्रस्तावित खनन परियोजना को सहमति या असहमति प्रदान करें। उन्होनें जनसमूह को बताया कि उनके विचार, आपत्तियां या सुझाव जैसे उन्होनें मौखिक या लिखित रूप मे बतायें है, वह दर्ज किये जा रहे है और इन्हें यथरुप में आगामी कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। उन्होनें यह भी बताया कि इस पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिर्काडिंग भी करवाई जा रही है।

		सुरक्षित दूरी पर किया जाए और किसी भी प्रकार के नुक्सान को रोकने के लिए उन्होनें किनारों को पक्का किये जाने का सुझाव दिया। उन्होनें कहा कि गांव कि सड़को के रख रखाव की जिम्मेवारी लोक निमार्ण विभाग की जगह खनन विभाग को देनी चाहिए क्योंकि गांव की सड़के केवल खनन गतिविधियों के कारण टूट रही है। उन्होनें गांव की सडको का उचित रख रखाव रखे जाने के संबंध में खनन विभाग से लिखित गारंटी भी मांगी। उन्होनें कहा कि विभाग इलाके में चल रहे स्टोन क्रशरों को भी अपने स्तर पर गांव की सड़को के रख रखाव व मुरम्मत करने के निर्देश जारी करें क्योंकि खनन गतिविधियों का सारा आर्थिक लाभ इन क्रशरो को ही होता है। उन्होनें कहा कि स्टोन क्रशर अवैध खनन करके गैर कानूनी तरीके से कमाई कर रहे है और यें बेचे गए माल के लिए एम फार्म भी नही देते है जिससे सरकार के राजस्व को नुक्सान हो रहा है। उन्होनें कहस कि यह सब खनन विभाग की लापरवाही के कारण संभव हो पा रहा है। उन्होनें बताया कि कुछ स्टोन क्रशरों के स्वीकृत खनन पट्टों में खनिज के भंडार खत्म हो गए है और यह स्टोन क्रशर अपने क्रशरों को चलाने के लिए खड्ड के अन्य भागों सें अवैध खनन करके खनिज भर भर के ला रहे है। उन्होनें खनन अधिकारी से पूछा कि खनन विभाग इन स्टोन क्रशरों पर क्या कारवाई अमल में लाएगा। उन्होनें कहा कि स्टोन क्रशरों की अवैध खनन गतिविधियों के कारण सरकार के राजस्व को हो रहे नुक्सान को रोकने के लिए सड़को पर कैमरे लगवाये जाए जिसकी सहायता से खनन गतिविधियों से जुड़े वाहनो की निगरानी की जा सके। उन्होनें कहा कि सरकार अधिसूचना के माध्यम से पंचायतो में हो रहे निमार्ण कार्यो में खनिज सामग्री का एम–फार्म लिया जाना अनिवार्य करें। उन्होनें कहा कि स्टोन क्रशरों को चलाए जाने की समय सीमा निर्धारित की जाए। उन्होनें लोगो से आग्रह किया कि यदि आप किसी भी स्टोन क्रशर को तय समय के बाद भी चलते हुए पाते है तो आप उसकी वीडियों बना कर हमे भेजे और ताकि उस स्टोन क्रशर पर कानूनी कारवाई शुरु करवाई जा सके।	सड़को के रख रखाव का कार्य खनन विभाग को सौंपे जाने के सुझाव के उत्तर में खनन अधिकारी ने बताया कि यह एक नीतिगत मामला है और वह इसमें निर्णय लेने के लिए सक्षम नही हैं। उन्होनें कहा कि इस सुझाव को नोट कर लिया गया है और इसपर विचार करंने हेतु इसे उच्च स्तर पर भेज दिया जाएगा। उन्होनें स्टोन क्रशरो द्वारा एम–फार्म के बिना खनिज सामग्री बेच कर सरकार के राजस्व को होने वाले नुक्सान के दावे पर कहा कि स्टोन क्रशरों द्वारा किए गए खनन और बेचे जा रहे माल की मात्रा के रिकार्ड को जांचने के लिए और रॉयल्टी निर्धारित करने के लिए खनन विभाग के पास विभिन्न विकल्प है। उन्होनें कहा कि स्टोन क्रशरों की रॉयल्टी का निर्धारण एम–फार्म के आधार पर किया जाता है। इसके बाद खनन विभाग सही रॉयल्टी निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए स्टोन क्रशर की बिजली की खपत के आधार पर भी कुल उत्पादन की गणना कर रॉयल्टी लगाता है। उन्होनें आगे बताया कि सरकार ने एक संशोधन के माध्यम से किसी भी खनन पट्टे की कुल खनन क्षमता का कम से कम 60 प्रतिशत रॉयल्टी जमा करवाना अनिवार्य कर दिया है। जिससे किसी भी प्रकार की सरकारी राजस्व चोरी की संभावना को रोका जा सके। सड़को पर कैमरे लगाये जाने के सुझाव पर परामर्शदाता ने बताया कि पर्यावरण स्वीकृति में प्रत्येक स्टोन क्रशर में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की शर्त होती है जिससे स्टोन क्रशर आने जाने वाले वाहनो का रिकार्ड रखा जाता है। उन्होनें कहा कि की निगरानी की जा सके। उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना में एप्रोच मार्गो पर कैमरे लगाये जाने की अनुशंसा की

			जाएगी।
6.	श्री बंता सिंह, गांव जामली, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)	उन्होनें कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त जिलाधीश, अन्य अधिकारियों और स्थानीय जनता का अभिनंदन किया। उन्होनें कहा कि जांगली गांव के लोगो के पास बड़ी कम जमीने है और ग्रामीण घास, पशुओं को चराने व अपने अन्य वर्तनों के लिए खड्ड के साथ लगने वाली भूमि पर ही निर्भर है। उन्होनें बताया कि खड्ड के साथ लगती 40 से 45 कनाल की भूमि जिसपर पहलें धान की फसल उगाई जाती थी, वह जमीन आज बंजर बन चुकी है क्योंकि इन स्टोन क्रशरो के कारण आज खड्ड का पानी सूख चुका है। उन्होनें कहा कि खसरा नंबर 405 गांव के लोगों में विभाजित है और वह इस जमीन का रख रखाव करते है। उन्होने कहा कि ग्रामीण इस जमीन को पानी के बहाव से बचाने का प्रबंध करते है और इसमें पेड़ भी लगा रहे है। उन्होनें बताया कि लगभग 40 वर्ष पहलें शुक्कर खड्ड मे पानी का बहाव खड्ड के इस किनारे की तरफ हो गया था, जिसके कारण इस किनारे के साथ लगती ऊंची जमीन का बड़ा हिस्साा खड्ड मे बह गया था। उन्होनें कहा कि यदि प्रस्तावित खनन परियोजना को स्वीकृति मिलती है तो इसमे होने वाले खनन के कारण ग्रामीणों की मलकीयती भूमि बरबाद हो जाएगी। उन्होनें कहा कि स्टोन क्रशरो के द्वारा किये जा रहे अत्याधिक खनन के कारण खड्ड की सबसे निचली चिकनी मिट्टी वाली परत निकलने लगी है। उन्होनें कहा कि इसी चिकनी मिट्टी की परत पर खड्ड के किनारे स्थित गांव टिके हुए है और आशंका जताई के इस चिकनी मिट्टी की परत के पानी मे बहने से आस पास के गांव भी खड्ड में बह कर नष्ट हो सकते है। उन्होनें पानी के गिरते जलस्तर की बात भी उठाई और बताया कि इलाके के होल्थ गांव मे हैंडपंप लगने से जांगली गांव के हैंडपंप का पानी एक चौथाई रह गया था और आशंका जताई की प्रस्तावित खनन परियोजना में खनन होने से गांव के हैंडपंप का पानी पूरा सूख जाएगा। जिससे जांगली एवं नोहाण गांव के लोगो को पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होने दोहराया के जांगली गांव के लोगो के पास बड़ी कम जमीनें है और वह पशुओं के लिए घास व अन्य जरुरतों को पूरा करने के लिए खड्ड के साथ लगती भूमि पर ही निर्भर है। इसलिए जांगली गांव के लोग प्रस्तावित खनन परियोजना को कभी भी नहीं लगने देंगें और वह इसकी स्थापना के प्रस्ताव का विरोध करते हैं।	
7.	श्री उधोराम शास्त्री,	उन्होनें कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त जिलाधीश, अन्य अधिकारियों और स्थानीय जनता का अभिनंदन किया। उन्होनें बताया कि शुक्कर खड्ड जिला हमीरपुर एवं बिलासपुर मे मध्य एक सीमा रेखा है। वर्तमान में इस खड्ड में हमीरपुर जिले में 05 किमी के दायरे में 04 स्टोन क्रशर चल रहे है और खड्ड की दूसरी तरफ बिलासपुर की करलोटी पंचायत में एक भी	परामर्शदाता ने लोगो द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जबाव देते हुए कहा कि उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का प्रमुख कारण नियमों के तहत खनन का ना होना है। उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन

		स्टोन क्रशर नही लगा है। उन्होनें ग्राम पंचायत महारल के उपप्रधान द्वारा दिए गए सुझाव कि यदि स्टोन क्रशर बिलासपुर मे लगाया जा रहा है तो इसके लिए खनन भी बिलासपुर जिले में ही किया जाए पर अपनी असहमति व्यक्त की और कहा कि उनकी करलोटी पंचायत के निवासियों ने हमीरपुर जिले में शुक्कर खड्ड में लगाए जाने वाले क्रशरो का विरोध किया था और इनको स्थापित होने से रोकने का प्रयास भी किया था। उन्होनें कहा कि खड्ड मे लगे इन क्रशरों का स्थानीय जनता को कोई लाभ नही मिल रहा है। उन्होनें कहा कि ग्रामीणो को इन स्टोन क्रशरो से ना सस्ती बजरी मिलती है और नाहि स्थानीय जरुरतमंद ट्रैक्टर चालकों को इन क्रशरो में काम पर लगाया जाता है। उन्होनें कहा कि हमीरपुर के अधिकारियों के द्वारा खड्ड की गई निशानदेहियों पर भी आपत्ति जताई। उन्होनें कहा कि यह निशानदेहियां क्रशर मालिकों के इशारो पर की जाती है और इनमें बिलासपुर जिलें की जमीनों को भी हमीरपुर में दर्शा दिया जाता है। उन्होनें कहा कि उनकी 20 बीघा और अन्य ग्रामीणों की मलकीयती जमीन जिस पर बासमती चावल की भरपूर फसल हुआ करती थी, वह जमीन खड्ड में हो रहे अत्याधिक खनन के कारण ही अब बंजर बन चुकी है। उन्होनें कहा कि यह भी सही है कि इलाके में घरो के निमार्ण एंव स्थानीय पंचायतो के विभिन्न विकास कार्यो के लिए बजरी की आवश्यकता है और इस मांग की पूर्ति के लिए स्टोन क्रशर का लगाया जाना भी जरुरी है, परन्तु यह बात समझ से परे है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमीरपुर प्रशासन ने 05 किमी मे 04 स्टोन क्रशर चलाने की अनुमति प्रदान करदी। उन्होनें यह भी बताया कि इन 4 स्टोन क्रशरो के लिए खनन का कार्य बिलासपुर जिले में ही किया जा रहा है। उन्होने कहा कि इन स्टोन क्रशरो में सारे मजदूर प्रवासी है और यह प्रवासी मजदूर सरकार के प्रतिबंध के बावजूद खड्ड मे जाल लगा के छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर नियमों की अवेहलना करते रहतें है। उन्होनें सुझाव दिया कि खड्ड की दोनों ओर एक एक स्टोन क्रशर लगा दिया जाए जिससे खड्ड में सीमित खनन सुनिश्चित होगा और दोनो तरफ के गांवो को अपनी जरुरत का रेत बजरी भी मिल सकेगा, बशर्ते इन स्टोन क्रशरो का संचालन पूर्णतया निर्धारित नियमों व शर्तो के अनुसार ही हों। उन्होनें बताया की इन स्टोन क्रशरों से चलने वाले भारी भरकम वाहनों की आवाजाही ने गांवो के लिंक मार्गो की दुर्दशा करदी है और इस संबंध में ग्रामीणो की शिकायतों की सुनवाई भी नही हो पा रही है। उन्होनें कहा कि यहां के 80 प्रतिशत लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के विरोध में है, विशेषकर गांव के बच्चे जो कि खड्ड के किनारे स्थित इस खेल के मैदान में रोज खेलते है।	परियोजना में खनन का कार्य तय नियमों व प्रावधानो के अनुसार ही होगा। निर्धारित नियमों में किसी भी प्रकार की अवेहलना पाने के स्थिति में ग्रामीण इसकी शिकायत खनन विभाग से कर सकते हैं। उन्होने यह भी कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना में खनन का कार्य खेल मैदान से 200 मीटर की दूरी पर होगा जिससे इस मैदान को कोई भी नुक्सान नही होगा।

		उन्होनें कहा कि वह भलीभांति जानते है कि सरकार स्थानीय लोगो के विरोध के बावजूद भी यहां इस प्रस्तावित खनन परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी देगी। परन्तु उन्होनें प्रशासन से पुरजोर आग्रह किया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से इस खेल के मैदान को कोई भी नुक्सान ना पंहुचने दिया जाए और इस मैदान को आज की यथास्थिति में ही सुरक्षित रखा जाए। उन्होनें कहा कि उनकी पंचायत करलोटी में भी सस्ते दाम पर बजरी मिल सकें, इसके लिए उन्हें बिलासपुर में स्टोन क्रशर की स्थापना से कोई आपत्ति नही है। परन्तु उन्होंने हैरानी जताई कि हमीरपुर में 4 स्टोन क्रशर होने के बाद भी महारल व जमली पंचायत मे मंहगी बजरी मिल रही है और लोगो को इन स्टोन क्रशरों मे अपने ट्रैक्टर भी नही लगाने दिए जा रहे है। उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना को स्थापित किया जाता है तो इसकी स्थापना निर्धारित नियमों के तहत ही हो। इस बात का सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित खनन परियोजना के संचालन से इस खेल को कोई नुक्सान ना हो। उन्होनें आगे कहा कि स्टोन क्रशर से किसी भी प्रकार का धूल उत्सर्जन ना हो, पानी का नियमित छिड़काव हो, वाहनो की आवाजाही और खनन का कार्य नियमों के तहत सूर्योदय के बाद व सूर्यास्त के पहले तक ही हो। उन्होनें प्रशासन से यह भी मांग कि हमीरपुर व बिलासपुर दोनो जिलों के राजस्व विभाग के अधिकारी संयुक्त रुप से खड्ड की निशानदेही करे और दोनो जिलो की सही सीमा का निर्धारण करे।	

इसके उपरांत अतिरिक्त जिलाधीश हमीरपुर ने जनसमूह को संबोधित किया। उन्होनें स्थानीय पंचायतो के प्रतिनिधियों व आस पास के गांवो के निवासियों का कार्यक्रम में भाग लेने पर धन्यवाद किया। उन्होनें जानकारी दी कि सरकार कें द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खनन पट्टे जिनका कुल खनन क्षेत्र 05 हैक्टयर से ज्यादा है या 500 मीटर के कलस्टर एरिया में आने वाले दो या दो से ज्यादा खनन पट्टों जिनका कुल क्षेत्र 05 हैक्टेयर से ज्यादा बनता है, उनको पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की प्रकिया में जनसुनवाई करवाया जाना अनिवार्य होता है। उन्होने बताया कि इस पर्यावरणीय जनसुनवाई के कार्यक्रम के आयोजन का उदेश्य प्रस्तावित खनन परियोजना को सहमति या असहमति प्रदान करना नही है अपितु इस पर्यावरणीय जनसुनवाई का आयोजन का उदेश्य प्रस्तावित खनन परियोजना से स्थानीय प्रभावित लोगो एवं परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के अन्य समुचित स्वायतधारियों से सुझाव, विचार, टिप्पणियां या आपत्तियां मौखिक या लिखित रूप में प्राप्त करना है। उन्होनें कहा कि आपके द्वारा रखे गए सुझावो, विचारो, टिप्पणियों या आपत्तियों को यथारुप इस जनसुनवाई की कार्यावाही मे दर्ज किया कर लिया गया है और इन्हें आगामी कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। प्रस्तावित खनन परियोजना को स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करने का अधिकार जिला प्रशासन या यहां मौजूद किसी भी विभाग के पास नही है। उन्होनें बताया कि यह अधिकार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र मे है और स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान एक्सपर्ट कमेटी आपके द्वारा इस जनसुनवाई मे रखे गऐं सुझावो, विचारो, टिप्पणियों या आपत्तियों पर विचार करेगी। उन्होनें खनन अधिकारी को भी निर्देश दिए कि इलाके में पहले से चल रही खनन परियोजनओं के संबंध में ग्रामीणो के द्वारा रखीं गई शिकायतों की जांच कर उचित कारवाई की जाए। उन्होनें इस बात को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए के खड्ड में रात के समय खनन ना हो और स्टोन क्रशरो को चलाए जाने के लिए एक तयसीमा निश्चित किए जाने की सिफारिश सरकार को भेजी जाए।

प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध मे स्थानीय लोगो की तरफ से निम्नलिखित चार लिखित पत्र प्राप्त हुए जिन्हें संलग्नक–II के रुप में संलग्न भी किया गया है:

1. श्री वन्ता सिंह व अन्य निवासी गांव जांगली, डा० महारल, तहसील ढटवाल, जिला हि.प्र. ने खसरा नंबर 405 पर खनन के लिए एन.ओ.सी जारी ना किए जाने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र दिया।
2. शिवा युवा मंडल जांगली ने शुक्कर खड्ड मे बने खेल के मैदान को खनन के दौरान खराब ना किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया।
3. प्रगति युवा मंडल नोहान ने शुक्कर खड्ड मे बने खेल के मैदान को खनन के दौरान खराब ना किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया ।
4. हिमाचल जन क्रांति पार्टी ने शुक्कर खड्ड बने खेल के मैदान को खनन के दौरान खराब ना किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया।

पर्यावरण जनसुनवाई के कार्यक्रम में स्थानीय जनता ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे स्टोन क्रशरों के कारण उन्हें होने वाली विभिन्न समस्याओं का मुद्दा उठाया। जनसुनवाई में उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार 80 फीसदी से ज्यादा लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के खिलाफ हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

जितेन्द्र सांजटा,
अतिरिक्त जिलाधीश,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)